संख्या-41/III-2/05-55 (बजट)/

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून,दिना 30 मार्च, 20

विषय: वित्तीय वर्ष 2004-05 में [illegible] कम्पोनेन्ट प्लान (टी.एस.पी.)के अन्तर्गत मोटर मार्गो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके [illegible] स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (टी.एस.पी.) के [illegible] उपलब्ध कराये गये 17 मोटर मार्गों के आगणनों लागत रू0 2033.72 लाख के प्रस्तावों की [illegible] संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्ष[illegible] औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि रू0 [illegible] लाख (रूपये उन्नीस करोड अट्ठाईस लाख [illegible] हजार मात्र) की उनके संमुख अंकित [illegible] प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान [illegible] वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कार्य हेतु [illegible] लाख कुल रूपये 1.70 लाख (एक ला[illegible] हजार मात्र) की धनराशि के संलग्न [illegible] व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलि[illegible] के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में उल्लिखित [illegible] विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्[illegible] स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो [illegible] रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भा[illegible] गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार [illegible] का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत [illegible] मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्रा[illegible] प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना [illegible] स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अ[illegible] कदापि न किया जाय।

4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसा[illegible] प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए [illegible] निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते सम[illegible] करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता [illegible] अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी [illegible] कार्य किया जायें।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद [illegible] जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता [illegible] की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Temp.Divn. P.W.D. Sahiya

10- नये निर्माण कार्यों के लिए ... से किया जायेगा ।

11. ... से पूर्व जिन मामलों में ... वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य ... शासकीय अथवा ... प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय ... सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय ... विस्तृत आगणनों पर ... उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय ... धनराशि का 31.3.2005 तक उपयोग किया जायेगा । ... नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा ।

12. ... की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर ... अगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग ... की वित्तीय / भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही ... से अवमुक्त की जायेगी ।

13. ... पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 में अनुदानसंख्या-22 लेखा शीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02-अनुसूचित जाति / जनजाति स्पेशल कम्पोनेन्ट के अधीन 02 -नया निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा ।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-2005 / वित्त अनुभाग-3 / 2005 दिनांक 30 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-(1) / III-2 / 04, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद / देहरादून ।
2. आयुक्त कुमांयू / गढवाल मंडल, नैनीताल / पौड़ी ।
3. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूं / गढवाल क्षेत्र लो०नि०वि०, अल्मोड़ा / पौड़ी ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल, देहरादून ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ——— लो०नि०वि० उत्तरांचल ।
8. वित्त अनुभाग-3 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन ।
9. श्री एल.एम. पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तरांचल शासन
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव ।

मु० अभि० स्तर-1
लो० नि० वि०, देहरादून
पृ.सं. 856 / 68(1) भा० - उन्न० 5 दिनांक 1-4-05
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. मु० अभि० लो० नि० वि० पौड़ी / अल्मोड़ा
2. अधी० अभि० ... , का. मु० अभि० स्तर-1
3. प्रा० वर्ग / लेखा वर्ग ।
4. गार्ड पत्रावली

Copy

1199 / 36 ... 24/05
Copy to EE ... Chakrata ...
प्रति - 38 ...

... 31.3.05

शासनादेश सं0 – 41 / 1:1-2/05–55 (बजट)/2004, दिनांक 30 मार्च,2005 संलग्नक ।

(धनराशि लाख रु0)

क्र.सं.	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. द्वारा आंकलित राशि
1		3	4	5
1.	जनपद देहरादून में कालसी तहसील के अन्तर्गत ...री फार्म–तिलवाडी–... मोटर मार्ग का निर्माण	1.125	11.47	11.47
2.	जनपद देहरादून में ...बागबाग–कालसी–जोहडी मार्ग पर पुरानी कालसी बा... में सुरक्षा दीवार नाली ... कार्य का निर्माण	–	1.78	1.78
3.	जनपद देहरादून में निजऊ बलेथा खतार मोटर मार्ग का गडैथा बडनू तक विस्तार	6.00	97.30	97.30
4.	जनपद देहरादून में लखरयार लुधेरा क्यारी कच्चा हल्का वाहन का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं विस्तार	8.00	77.20	77.20
5.	जनपद देहरादून में नागथात–लाच्छा–गडोल मोटर मार्ग का गडोल तक विस्तार	3.00	41.70	41.70
6.	जनपद देहरादून में अमरऊ वसाया गसराड मोटर मार्ग का विस्तार गलेथा–दाल...–बडनू तक	8.00	111.20	111.20
7.	जनपद देहरादून में ...बगरजेन्स मोटर मार्ग का चिरटाड तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं विस्तार कि0मी0 21 से 37 तक	17.00	91.80	91.80
8.	जनपद देहरादून के अन्तर्गत खारसी लिंक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	9.00	91.80	91.80
9.	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धोरपट्टा–चनियागांव–धामीकूरा मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	101.70	72.00
10.	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गदकोट बौना हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने हेतु	30.00 +1 सेतु	334.35	267.30
11.	खेमपुर मटिया किमी. 1 से 10 तक एवं मझौला–मोरनोला मार्ग किमी. 1–6 तक किमी. 9 का पुनः निर्माण कार्य ।	17.50	425.35	422.00
12.	खटीमा छिनकी ... मार्ग सुधार एवं पुनःनिर्माण कार्य		[illegible]	313.90
13.	जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत तेजम–बतन मोटर मार्ग का निर्माण ।	4.00	57.60	57.60
14.	जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत तवाघाट –जिप्ती मोटर मार्ग से बुगंबुग तक मोटर मार्ग का निर्माण ।	4.00	57.60	57.60
15.	जनपद देहरादून के अन्तर्गत कण्डा लोअर अपर मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार (किमी. 1 से 3)	3.00	30.60	30.60

आज्ञा से

(टीका पन्त)

संयुक्त सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Temp.Dvn. P.W.D. Sahiya

(71)

संख्याः–जी0आई0:– 1669 /7–1–2008–600(704)/1999.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 09 मई, 2008.

विषयः– जनपद–देहरादून में लकश्यार–लुधेरा–क्यारी कचटा हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 4.995 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–3100/1जी–639 (दे0दून) दिनांक 05–05–2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–देहरादून में लकश्यार–लुधेरा–क्यारी कचटा हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 4.995 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/93/1999/एफ.सी./941 दिनांक 26–09–2007 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
8. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।

9. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 9.99 हे0 पर वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 9.99 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।
11. वन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग के व्यय पर प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान यथोचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई अनुपालन किया जायेगा।
13. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
14. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से इस आशय की बचनबद्धता ली जायेगी कि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो उनके द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी से एकत्रित एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
16. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः ए–2–75/दस–77–14(4)/74 दिनांक 3–2–1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः–जी0आई0:– 1669 /7–1–2008–600(704)/1999 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, कालसी।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।